प्रेस प्रकाशनी PRESS RELEASE

भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

वेबसाइट : www.rbi.org.in/hindi
Website : www.rbi.org.in
ई-मेल/email: helpdoc@rbi.org.in

संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, एस.बी.एस.मार्ग, मुंबई-400001

Department of Communication, Central Office, S.B.S.Marg, Mumbai-400001
फोन/Phone: 022- 22660502

15 अप्रैल 2021

रिज़र्व बैंक ने निजी क्षेत्र में यूनिवर्सल बैंकों और लघु वित्त बैंकों के 'ऑन टैप' लाइसेंस के दिशानिर्देशों के अंतर्गत आवेदकों के नाम जारी किए

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज यूनिवर्सल बैंकों और लघु वित्त बैंकों के 'ऑन टैप' लाइसेंस के लिए दिशानिर्देश के अंतर्गत आवेदकों के नाम जारी किए। अब तक, उपरोक्त दिशानिर्देशों के अंतर्गत, रिज़र्व बैंक द्वारा निम्नलिखित आवेदकों से यूनिवर्सल बैंक और लघु वित्त बैंकों के लिए आवेदन प्राप्त किए गए हैं:

यूनिवर्सल बैंकों के लिए 'ऑन टैप' लाइसेंस दिशानिर्देश के अंतर्गत आवेदक

1. यूएई एक्सचेंज एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड
2. दि रिपेट्रिएट्स को-ऑपरेटिव फाइनेंस एण्ड डेवलेपमेंट बैंक लिमिटेड (आरइपीसीओ बैंक)
3. चैतन्य इंडिया फिन क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड
4. श्री पंकज वैश्य और अन्य

लघु वित्त बैंकों के लिए 'ऑन टैप' लाइसेंस दिशानिर्देश के अंतर्गत आवेदक

1. वीसाफ्ट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
2. कालीकट सिटी सर्विस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड
3. श्री अखिल कुमार गुप्ता
4. द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड

यह स्मरण किया जा सकता है कि निजी क्षेत्र में यूनिवर्सल बैंकों और लघु वित्त बैंकों के 'ऑन टैप' लाइसेंस के लिए दिशानिर्देश क्रमशः 1 अगस्त 2016 और 5 दिसंबर 2019 को जारी किए गए थे। उपरोक्त दिशानिर्देशों के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के मूल्यांकन के लिए स्थायी बाहरी सलाहकार समिति के गठन और संरचना की घोषणा 22 मार्च 2021 को की गई थी।

(योगेश दयाल)
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2021-2022/61